न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– श्री प्रमोद कुमार(आर.ए.एस)

मुकदमा संख्या :– 04/2017

जी.सी.एम.एस. नंबर :– 2017/00086

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
पदमाराम पुत्र शंकरराम (फौत)		1 सोहनलाल पुत्र लादूराम (फौत)
के कायम मुकाम		के कायम मुकाम
1 राजुराम पुत्र पदमाराम		अ–कन्हैयालाल पुत्र सोहनलाल
2 कमलेश पुत्र पदमाराम		ब–नरेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल
3 शांतिदेवी पत्नी पदमाराम		स–घेवरचन्द पुत्र सोहनलाल
जातियान–ब्राहम्ण, निवासीगण–		द–चम्पादेवी पत्नी सोहनलाल
डडुसन, तहसील व जिला–सांचौर		जातियान–ब्राह्मण, निवासीगण–डडुसन तहसील व जिला–सांचौर
		2 व्यवस्थापक दी जालोर सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक शाखा, सांचौर
		3 तहसीलदार सांचौर, जिला–सांचौर

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजु :– 29.06.2017

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जालाराम पुनिया उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण की और से विद्वान अधिवक्ता श्री बाबुलाल पालड़िया उपस्थित।

:– निर्णय :– दिनांक :– 25.11.2024

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त की भूमि मौजा डडूसन पटवार हल्का–बावरला में खेत खसरा संख्या 200 रकबा 1.41 हैक्टेयर का आया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण की रहवासीय ढाणी आई हुई है प्रार्थीगण को उक्त खेत में आने जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के खेत व रहवासीय ढाणी [illegible] के खातेदारी खेत ग्राम डडुसन के खसरा संख्या 202 रकबा [illegible] हैक्टेयर [illegible] से [illegible] हैक्टेयर भूमि चार मीटर चौड़े रास्ते की निकटमत रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ते [illegible] के खेत में आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक [illegible]ता है। उक्त रास्ते के अ[illegible] प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जाकाश्त के खेत में काश्त करने व आने जाने का निकटतम रूठ का सुविधाजनक का रास्ता नहीं है। आवेदित स्थान की भूमि से प्रार्थीगण वर्षों से आवागमन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

करते आ रहे है, लेकिन रेकर्ड में रास्ता दर्ज नहीं हुआ जिसका नाजायज फायदा उठाकर अभी अप्रार्थीगण उक्त भूमि अपने नाम की खातेदारी में दर्ज होने का बहाना बनाकर उक्त स्थान से चलने से मना कर दिया है तथा नक्शे में आगे राजकीय कटाण से जोड़ने के लिए सरकारी भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की कोई रूकावट या असुविधा नहीं है। रास्ते हेतु अपनी सहमति से मामला नहीं बैठता है। जिससे रास्ते प्राप्ति हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' पेश है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ते की सुविधा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से 0.06 हैक्टेयर भूमि चार मीटर चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है जिसे सलंग्न नक्शे में परिशिष्ठ 'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है उक्त नक्शे को प्रार्थना–पत्र का महत्वपूर्ण अंग माना जाकर साथ पढ़ा जावें। प्रार्थीगण के उक्त आवेदित स्थान से रास्ते के अभाव में बच्चों के शिक्षा हेतु स्कूल आने जाने खेतों में व रहवासीय ढ़ाणी में आने–जाने, काश्त के साधन, उपकरण लाने ले जाने, राशन सामग्री लाने–ले–जाने इत्यादि कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवेदित स्थान की भूमि राजस्व रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश तहसीलदार सांचौर के नाम जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण उपस्थित आये और जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के मौजा डडुसन में स्थित अपने खातेदारी खेत खसरा संख्या 200 रकबा 1.41 हैक्टेयर व उक्त खेत में स्थित प्रार्थी की ढ़ाणी में आवागमन प्रयोजनार्थ रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता बताते हुए रास्ते की मांग की है। उक्त अनवान प्रकरण में रास्ता के संबंध में न्यायालय श्रीमान द्वारा करवाई गई मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 में दर्शित मार्क सी, डी, ई के वैकल्पिक रास्ता के प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 1.41 हैक्टेयर में आवागमन का वर्षो से उपलब्ध है जिससे प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत मय ढ़ाणी में आवागमन हेतु वर्षो से सहज व शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहा है। उक्त वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर के दक्षिणी सेढ़े से होकर गुजर रहा है। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा संख्या 200 मय अन्दर स्थित रहवासीय ढ़ाणी में आवागमन अप्रार्थीगण के खेत के दक्षिणी सेढ़े के वैकल्पिक रास्ता से शांतिपूर्वक करता रहा है। प्रार्थीगण के उक्त खेत में आवागमन का वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 202 के दक्षिणी सेढ़े पर उपलब्ध होने से उक्त वैकल्पिक रास्ता [illegible] खसरा संख्या 202 के उतरी सेढ़े से होकर उक्त आवेदित [illegible] के बीचों [illegible] की पक्की रहवासीय ढ़ाणी गिराकर प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया प्रार्थीगण के लिए [illegible] से इसे प्रार्थीगण अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 200 के सुविधापूर्ण [illegible]योग के उद्देश्य से हस्तगत प्रार्थना–पत्र के मार्फत अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर के उतरी सेढ़े से प्रार्थीगण की आवेदित रास्ता की मांग का प्रार्थना–पत्र मिथ्या व असत्य होने से

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें। प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 202 के उतरी सेढ़े से होकर जहां नवीन रास्ता चाहा है उसके बीच अप्रार्थी की पक्की आवासीय ढ़ाणी मय पक्का परकोटा आया हुआ है जिसकी सीमा ग्राम हाड़ेचा, तहसील–चितलवाना की गोचर भूमि से लगती है। अप्रार्थीगण के वादग्रस्त रास्तो के बीचों बीच स्थित उक्त रहवासी ढ़ाणी किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी रास्ता से जुड़ी हुई नहीं है। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर के दक्षिणी सेढ़े से वैकल्पिक रास्ते से शांतिपूर्वक आवागमन कर अपने खेत खसरा संख्या 200 रकबा 1.41 हैक्टेयर मय इसके अन्दर निर्मित ढ़ाणी में शांतिपूर्वक पहुंचने के बावजूद भी अप्रार्थीगण के इसी खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर मौजा डडुसन के उतरी सेढ़े पर अप्रार्थी की पक्की रहवासी ढ़ाणी की जगह से होकर वैकल्पिक रास्ता की बजाय उतरी सेढ़े पर नया व दोहरा रास्ता मांगा है जो प्रार्थीगण की आवेदित रास्ता की बजाय उक्त रास्ते के बीच आने वाली पक्की रहवासीय ढ़ाणी का बदनियतपूर्वक जिक्र किये बिना पक्की लाखों रूपयों के भवन की उक्त रहवासी ढ़ाणी के तथ्य को छुपाकर बाले बाले वादग्रस्त आवेदित रास्ता न्यायालय श्रीमान से अविधिक रूप से ग्रहण करना, मंजूर करवाकर प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता का अनुतोष विधिनुसार ग्रहण करने के बजाय अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर दक्षिणी सेढ़े पर ऑलरेडी वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए हस्तगत प्रार्थना–पत्र के जरिये उतरी सेढ़े से दोहरा रास्ता मांगने के पिछे प्रार्थीगण की मंशा उतरी सेढ़े के बीच आने वाली पक्की रहवासी ढ़ाणी को ध्वस्त कर गिराने व अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित करने की है। उक्त आवासीय ढ़ाणी को ध्वस्त कर प्रार्थीगण को आवेदित रास्ता देना कतई न्यायोचित नहीं है। अतः सशपथ जवाब प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन, अविधिक, औचित्यविहिन होने से मय खर्चा खारिज फरमावें।

बहस अधिवकता उभयपक्ष सुनी गई, अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खेत में आने जाने के अप्रार्थीगण के खातेदारी भूमि में से 0.06 हैक्टेयर भूमि 4 मीटर चौड़े रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है जिसे सलंग्न नक्शे में परिशिष्ठ'अ' में लाल स्याही से दर्शाया गया है इस हेतु अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत ग्राम डडुसन के खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर में से 0.06 हैक्टेयर भूमि 4 मीटर चौड़े रास्ते की निकटतम रूठ से आवश्यकता है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए आवागमन की सुविधा हेतु उपयुक्त व सुविधाजनक रास्ता है। अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जा[illegible] रेकर्ड में रास्ता सुविधा हेतु रास्ते के रूप में दर्ज करने का आदेश जा[illegible]करमा[illegible] अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि उक्त [illegible] दिनांक 05.05.2018 में दर्शित मार्क सी. डी. ई. के वैकल्पिक रास्ता के प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 200 रकबा 1.41 हैक्टेयर में आवागमन वर्षों से उपलब्ध है। वैकल्पिक रास्ता अप्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर में दक्षिणी सेढ़े से होकर गुजर रहा है। प्रार्थीगण अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:35:37 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

खेत खसरा संख्या 200 मय अन्दर स्थित रहवासीय ढ़ाणी में आवागमन अप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 202 के दक्षिणी सेढ़े के वैकल्पिक रास्ते से शांतिपूर्वक करता रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन व अविधिक होने से खारिज फरमावें।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। बहस समायत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मय दस्तावेज, नजरी नक्शा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 का गहनता से अध्ययन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251'क' में निम्नलिखित विधिक प्रावधान है :–

251'क' अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना विधमान मार्ग का विस्तार करना

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विधमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है।

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगें और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि –

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है –

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने का एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाया जाये या विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

उपखण्ड अधिकारी
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner

(3) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में यह आज्ञापक प्रावधान है कि रास्ता उसी दशा में स्वीकृत किया जाएगा, जब खातेदार को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता हो, तथा निकटतम स्थान से मार्ग स्वीकृत किया जावेगा। प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण के खातेदार खेत खसरा संख्या 200 में पहुंचने हेतु कोई रेकडर्ड मार्ग तो उपलब्ध नहीं है, परन्तु भू–अभिलेख निरीक्षक सांचौर की मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 से स्पष्ट है कि सरहद मौजा डडुसन के खेत खसरा संख्या 200 में जाने हेतु रेकर्डेड मार्ग उपलब्ध नहीं है। खसरा संख्या 200 में आवागमन हेतु आवेदित रास्ता जिसकी मांग खसरा संख्या 202 रकबा 2.23 हैक्टेयर से की गई है। नजरी नक्शे अनुसार प्रार्थीगण ने 'ए' से 'बी' तक रास्ता की मांग की है। बिन्दू संख्या 'बी' के पास हाडेचा की सरहद के लगती हुई ढ़ाणी बनी हुई है इससे आगे हाड़ेचा की गोचर भूमि लगती है। प्रार्थीगण वर्तमान में नजरी नक्शे में बताये गये बिन्दू सी, डी, ई तक मौके पर रास्ता से अपने घर तक जाते है इस प्रकार अपने घर तक कटाण रास्ता से वैकल्पिक रास्ता मौके पर मौजूद है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता की दूरी 125 मीटर है वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 198 ढ़ाणी के पास से होकर जाता है खसरा संख्या 209 व 199 इनके सगे भाई के खातेदारी के है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम यह आज्ञापक प्रावधान है कि केवल सुविधा हेतु दुरूस्थ स्थान से मार्ग स्वीकृत नहीं किया जा सकता है अतः प्रार्थीगण का राजस्व प्रार्थना–पत्र भली प्रकार साबित नहीं होने एवं पूर्व से मार्ग की उपलब्धता एवं आत्यंतिक आवश्यकता साबित नहीं होने से उक्त प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाना पूर्णतया विधिसंगत एवं उचित होगा।

:– आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पूर्व से मार्ग की उपलब्धता, वैकल्पिक मार्ग, आत्यांतिक आवश्यकता की श्रेणी में नहीं होने व बखूबी साबित नहीं होने तथा सारवान नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.12.06 17:55:37 IST
Reason: SelfAttested

(प्रमोद कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सांचौर

निर्णय आज दिनांक 25.11.2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
सांचौर
सांचौर

Scanned with OKEN Scanner